रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 28, 1994/वैशाख 8, 1916
No. 214] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 28, 1994/VAISAKHA 8, 1916

केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना

सं. 19/94 (एन. टी.)—सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1994

का.आ. 338(अ):—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड एतद्द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दादर और नागर हवेली के गांव दादरा को एक भाण्डागार स्टेशन घोषित करता है।

[फा. सं. 473/26/94–एल. सी.]

एस. एम. भटनागर,
अवर सचिव
केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

NOTIFICATION

NO. 19|94(NT)-CUSTOMS

New Delhi, the 28th April, 1994

S.O. 338(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Village Dadra in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli to be a warehousing station.

[F. No. 473|26|94-LC]

S. M. BHATNAGAR, Under Secy.
Central Board of Excise & Customs

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994